न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 141/2017 (उदयपुर डिक्री)

1. लोगर पिता रामा जी नाई, निवासी लकड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. छगन पिता रामा जी नाई, निवासी लकड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (मृतक) के बजाय :–

2/1. दिनेश पुत्र छगन जी नाई, निवासी लकड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

2/2. राहुल पुत्र छगन जी नाई, निवासी लकड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

3. रोशन पिता मोहन जी नाई, निवासी लकड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. डालू पिता मोहन जी नाई, निवासी लकड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. महावीर पिता मोहनलाल जी महाजन, निवासी लकड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. कमलेश पिता मोहनलाल जी महाजन, निवासी लकड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती चन्द्री बाई विधवा पिता मोहनलाल जी महाजन, निवासी लकड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. अमृतलाल पिता गमेरलाल जी महाजन, निवासी लकड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (मृतक) के बजाय :–

4/1. मुकेश पुत्र अमृतलाल जी महाजन, निवासी छोटी पीपली, गणेश नगर, पहाड़ा, उदयपुर (राज.)

5. रोशनलाल पिता कालूलाल जी महाजन, निवासी लकड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (मृतक) के बजाय :–

5/1. महेन्द्र पुत्र रोशनलाल जी महाजन, निवासी लकड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

5/2. जीवनलाल पुत्र रोशनलाल जी महाजन, निवासी लकड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

5/3. दाडमचन्द पुत्र रोशनलाल जी महाजन, निवासी लकड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

5/4. देवेन्द्र पुत्र रोशनलाल जी महाजन, निवासी लकड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

5/5. जसवन्त पुत्र रोशनलाल जी महाजन, निवासी लकड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:40:40 IST
Reason: SelfAttested

6. मुन्ना पुत्री कालूलाल जी महाजन, निवासी लकड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
7. लीला पुत्री कालूलाल जी महाजन, निवासी लकड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
8. भगवती पुत्री कालूलाल जी महाजन, निवासी लकड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (मृतक) के बजाय :–

8/1. नरेश पुत्र सागरमल जैन, निवासी मेघावी नगर, अहमदाबाद (गुजरात)

8/2. कमलेश पुत्र सागरमल जैन, निवासी मेघावी नगर, अहमदाबाद (गुजरात)

9. कन्हैयालाल पिता मोतीलाल जी महाजन, निवासी लकड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान
काश्त॰ अधि॰– 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा दिनांक
10–06–2017 प्रकरण संख्या 48/12

———/———

उपस्थित :– 1– श्री धनसिंह सिसोदिया अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री सत्य प्रकाश व्यास अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट
3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रे. 10

———::———

निर्णय दिनांक 20–06–2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188, 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा लकड़वास में वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की मौरूसी कृषि भूमि स्थित है, जिसके साबिक आराजी नंबर 1740 रकबा 11 बिस्वा हैं। उक्त आराजी साबिक सेटलमेन्ट में वादीगण के दादा उदा वल्द नन्दा के खाते में दर्ज थी, जो बिना किसी आधार के प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज कर दी गयी है। उक्त साबिक आराजी नंबर 1740 के हाल आराजी नंबर 2174 रकबा 0.0550 एवं 2175 रकबा 0.0600 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.1150 हैक्टर बने हैं, जिसे वादीगण घोषणा कराने के अधिकारी हैं। मूल पुरूष उदा के दो पुत्र रामा व मोहन हुए। रामा के पुत्र वादी संख्या 1 व 2 तथा मोहन के पुत्र वादी संख्या 3 व 4 हैं। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पूर्वज गमीरलाल व प्रतिवादी संख्या 5 से 9 के पूर्वज ... हैं। उक्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो जाने से ... लेते हैं तथा लडाई–झगड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:40:40 IST
Reason: SelfAttested

करते हैं। अतः वादीगण को विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादीगण की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया एवं निवेदन किया कि विवादित आराजियात प्रतिवादीगण के खातेदारी की होकर कब्जा प्रतिवादीगण का अपने पिता के समय से चला आ रहा है। वादीगण प्रतिवादीगण से लडाई–झगड़ा करते हैं। अतः प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम स्वीकार कर वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 10–06–2017 से प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद साबित नहीं होना मानकर खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 04–09–2017 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर अभिभाषक श्री सत्य प्रकाश व्यास एवं राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को पेशी दिनांक 03–08–2017 दी गयी, जबकि इससे पूर्व ही दिनांक 10–06–2017 को प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर निर्णय पारित कर दिया, जिसकी जानकारी अपीलान्टगण को दिनांक 10–08–2017 को हुई। जानकारी होते ही अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्टगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस में बताया कि प्रकरण में दिनांक 03–08–2017 को पेशी नियत थी, उस दिन पत्रावली दैनिक सूची

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:40:40 IST
Reason: SelfAttested

में नहीं होने से पता किया तो बताया कि पत्रावली नहीं मिल रही है तथा दिनांक 10–08–2017 को बताया कि प्रकरण में निर्णय हो चुका है। अधिनस्थ न्यायालय ने नियत पेशी दिनांक से पूर्व ही प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपीलान्ट/वादीगण को बिना सुने निर्णय पारित कर दिया, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष उन्हें दिलाया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का जवाब देते हुए कि अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। जमाबन्दी महकमा बन्दोबस्त में साबिक आराजी नंबर 1740 रकबा 11 बिस्वा भूमि उदा वल्द नन्दा के खातेदारी में अंकित है, जो अपीलान्ट/वादीगण के पूर्वाधिकारी हैं, किन्तु बाद की जमाबन्दी में यह भूमि रेस्पोन्डेन्टगण के पूर्वाधिकारी गमीरमल वल्द रखबदास, कालूलाल, मोतीलाल वल्द माणकलाल महाजन के नाम दर्ज है। यह भूमि बाद में अपीलान्टगण के पूर्वाधिकारी के बाद प्रतिवादीगण के पूर्वाधिकारी के नाम कैसे दर्ज हुई, यह स्पष्ट नहीं है। साबिक आराजी नंबर 1740 रकबा 11 बिस्वा के हाल आराजी नंबर 2174 रकबा 0.0550 एवं 2175 रकबा 0.0600 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.1150 हैक्टर बनना मिलान क्षेत्रफल अनुसार स्पष्ट है, जो वर्तमान में प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्टगण के नाम दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 11–05–2017 अनुसार प्रकरण में दिनांक 03–08–2017 की पेशी नियत की गयी, किन्तु इसके लगभग 2 माह पूर्व ही पत्रावली दिनांक 10–06–2017 को राजस्व कैम्प में रखकर बिना पक्षकारान की बहस सुने प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट/वादीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं हुआ है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:40:40 IST
Reason: SelfAttested

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 10–06–2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में हमारे द्वारा किये गये उपरोक्त विवेचन को मद्दे नजर रखते हुए अपीलान्ट/वादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 08–08–2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 20–06–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:40:40 IST
Reason: SelfAttested